राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प.3(8)वित्त/राजस्व/21 दिनांकः 22.04.2021

आदेश

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021

Social Security Investment Promotion Scheme (SSIPS), 2021

राज्य में वंचित वर्ग यथा बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिखारी/निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्तियों एवं वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार की ओर से सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान करने हेतु **"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021"** लागू की जाती है–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार –

1.1 उक्त योजना **"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 (Social Security Investment Promotion Scheme - SSIPS, 2021)"** कहलायेगी।

1.2 यह योजना आदेश प्रसारित किये जाने की दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2. परिभाषाएं –

2.1 इस योजना में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "अलाभकारी संस्था" से तात्पर्य इस आदेश के बिन्दु 4(1)में परिभाषित वंचित वर्ग के लिए एवं अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संस्था/संगठन से अभिप्रेत है;

(ii) " वंचित वर्ग " से तात्पर्य योजनान्तर्गत परिभाषित बालक, भिखारी/ निर्धन व्यक्ति, बेघर, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांगजन, महिला, नशे में संलिप्त व्यक्ति एवं एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(iii) "बालक" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से अभिप्रेत है;

(iv) "भिखारी/निर्धन व्यक्ति" से तात्पर्य राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 में परिभाषित भिखारी/निर्धन व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(v) "बेघर व्यक्ति" से तात्पर्य शहरी बेघर हेतु राजस्थान राज्य नीति, 2017 में परिभाषित बेघर व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(vi) "वरिष्ठ नागरिक" से तात्पर्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(ज) में परिभाषित वरिष्ठ नागरिक से अभिप्रेत है;

(vii) "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" से तात्पर्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2(ज्ञ) में परिभाषित ट्रांसजेंडर व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(viii) "दिव्यांगजन" से तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) में परिभाषित दिव्यांगजन से अभिप्रेत है;

(ix) "महिला" से तात्पर्य तत्समय पृवत किसी विधि के अन्तर्गत कोई हिंसा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, मानसिक बीमार, संकटग्रस्त अवस्था में मौजूद महिला अथवा एकल महिला से अभिप्रेत है;

(x) "नशे में संलिप्त व्यक्ति" से तात्पर्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में वर्णित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के सेवनकर्ता व्यक्ति से अभिप्रेत है;

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

(xi) "एच.आई.वी.एड्स से पीड़ित व्यक्ति" से तात्पर्य ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एण्ड एक्वायर्ड इन्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम एवं नियत्रंण) अधिनियम, 2017 में वर्णित पीड़ित व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(xii) "अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee)" से तात्पर्य विभाग द्वारा अलाभकारी स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त आवेदनों की जांच एवं निर्णय तथा Customized Package हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु निर्धारित समिति से अभिप्रेत है;

(xiii) "उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Committee)" से तात्पर्य अलाभकारी स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों से Customized Package हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित समिति से अभिप्रेत है;

(xiv) "प्रारूप" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप से अभिप्रेत है;

(xv) "सुविधाएं/रियायत/छूट" से तात्पर्य योजनान्तर्गत निर्धारित सुविधाएं एवं रियायत/छूट से अभिप्रेत है;

(xvi) "आउटरीच सेवायें" से तात्पर्य वंचित वर्ग के लिये चिकित्सीय सहायता, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं चिह्नीकरण से अभिप्रेत है;

(xvii) "संस्थागत देखरेख" से तात्पर्य अलाभकारी स्वयंसेवी संस्था/संगठन द्वारा वंचित वर्ग के लिए संचालित कोई आवासीय सुविधा, गृह, पुनर्वास गृह/केन्द्र, हाफ–वे होम, खुला आश्रय, नशा मुक्ति केन्द्र, फिट फैसिलिटी, महिला सदन/नारी निकेतन से अभिप्रेत है;

(xviii) "गैर संस्थागत देखरेख" से तात्पर्य अलाभकारी स्वयंसेवी संस्था/संगठन द्वारा वंचित वर्ग के लिए संचालित कोई पारिवारिक देखरेख, आउटडोर सेवायें इत्यादि गैर संस्थागत देखरेख से अभिप्रेत है;

(xix) "क्राइसिस इन्टरवेनशन सेन्टर" से तात्पर्य वंचित वर्ग के हिंसा से पीड़ित/प्रभावित अथवा अवसादग्रस्त व्यक्तियों को एक ही छत के नीचे मनोवैज्ञानिक परामर्श, विधिक सहायता, संरक्षण सेवाएं तथा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित सेन्टर से अभिप्रेत है;

(xx) "ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बालकों के लिये संचालित ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी से अभिप्रेत है;

(xxi) "फिट फैसिलिटी" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत स्थापित फिट फैसिलिटी से अभिप्रेत है;

(xxii) "स्वयंसेवी संस्था/संगठन" से तात्पर्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/संगठन से अभिप्रेत है;

(xxiii) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा नामित अधिकारी से अभिप्रेत है;

(xxiv) "प्रशासनिक विभाग" से तात्पर्य राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है;

(xxv) "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है।

2.2 अधिनियम अथवा नियम में परिभाषित और उपयुक्त किये गये किन्तु इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो संबंधित अधिनियम अथवा नियम में समुनिर्दिष्ट किया गया है।

3. <u>उद्देश्य एवं आवश्यकता</u> –

3.1 औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर योजनाएं प्रसारित की जाती है। सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे निवेश को भी औद्योगिक निवेश की भाँति महत्वपूर्ण मानते हुए राज्य में वंचित वर्ग के कल्याण के लिये कार्यशील अलाभकारी संस्थाओं हेतु निवेश प्रोत्साहन योजना की आवश्यकता महसूस की गई है।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

3.2 उक्त अलाभकारी संस्थाओं की सहभागिता को सुगम बनाने तथा उनके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के अंतर्गत अलाभकारी संस्थाओं को सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. <u>पात्रता</u> –योजनान्तर्गत आवृत अलाभकारी संस्थाओं की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जावेगीः –

4.1 वंचित वर्ग की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार के कार्य हेतु राज्य में कार्यरत अलाभकारी संस्था का न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व से संबंधित सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु सोसायटी/ट्रस्ट (न्यास)/कंपनी (सामाजिक क्षेत्र) के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

4.2 योजनान्तर्गत सुविधाएं/रियायत/छूट प्राप्त करने हेतु अलाभकारी संस्था द्वारा निम्नांकित की पूर्ति आवश्यक होगी –

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण।
(ii) नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन।
(iii) एफसीआरए पंजीयन (विदेशी सहायता प्राप्त करने की स्थिति में)।
(iv) विगत 03 वित्तीय वर्षों का संस्था के लेखा का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित प्रमाण पत्र।
(v) विगत 03 वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट
(vi) विगत 03 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।
(vii) भारत सरकार/राज्य सरकार से ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होने संबन्धी उद्घोषणा।

4.3 सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रासंगिक अधिनियम/नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार से पंजीकृत/अधिकृत अलाभकारी संस्थाओं को योजना के बिन्दु संख्या 4.2 में उल्लेखित दस्तावेजों को आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4.4 अलाभकारी संस्था की स्थापना में न्यूनतम रूपए 50 लाख का पूंजीगत निवेश अथवा न्यूनतम 25 लाभार्थियों हेतु संचालन।

5. <u>वंचित वर्ग के लिए गतिविधियों का निर्धारण</u> –

5.1 योजनान्तर्गत अलाभकारी संस्था का निम्न वर्णित क्षेत्रों में से किन्हीं गतिविधियों में नियोजन आवश्यक होगा–

क्र.सं.	वंचित वर्ग	अनुज्ञेय गतिविधियां
1	महिला	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • डे–केयर • शिक्षण • व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण • महिला हेल्पलाईन • स्वयं सहायता समूह • क्राइसिस इन्टरवेनशन सेन्टर • आउटरीच सेवायें
2	दिव्यांगजन	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • विद्यालय • आवासीय विद्यालय • डे–केयर

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

		• छात्रावास • व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण • आउटरीच सेवायें
3	बालक / बालिका	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी • फिट फैसिलिटी • आवासीय विद्यालय • ऑपन शेल्टर • गैर–संस्थागत देखरेख • शिक्षण • व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण • चाईल्ड हेल्पलाईन • क्राइसिस इन्टरवेंनशन सेन्टर • आउटरीच सेवायें
4	वरिष्ठ नागरिक	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • डे–केयर • गैर–संस्थागत आधारित जैरियाटिक केयर
5	भिखारी / निर्धन व्यक्ति	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • डे–केयर • व्यवसायिक प्रशिक्षण
6	बेघर	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • डे–केयर • व्यवसायिक प्रशिक्षण
7	ट्रांसजेंडर	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण
8	नशे में संलिप्त व्यक्ति	• नशा मुक्ति केन्द्र संचालन • पुनर्वास केन्द्र • डे–केयर • व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण • नशा मुक्ति आउटडोर सर्विस • आउटरीच सेवायें

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

9	एच.आई.वी. (एड्स) से पीड़ित व्यक्ति	• संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) • गैर–संस्थागत देखरेख • व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण

5.2 उक्त अनुज्ञेय गतिविधियों के अतिरिक्त अलाभकारी संस्था का अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्यशील होने पर भी योजनान्तर्गत सुविधाएं/रियायत/छूट देय होंगी।

5.3 अलाभकारी संस्था के एक से अधिक वर्णित क्षेत्रों/गतिविधियों में पृथक–पृथक अथवा सम्मिलित रूप से कार्यशील होने पर उन्हें संबन्धित क्षेत्रों/गतिविधियों में पृथक–पृथक निर्धारित सुविधाएं/ रियायत/छूट प्रदान की जा सकेगी।

6. सुविधाएं/रियायत/छूट का विवरण –

6.1 राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए कार्यरत अलाभकारी संस्था को वर्णित क्षेत्रों में अनुज्ञेय गतिविधि के आधार पर सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान की जायेगी।

6.2 राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी संस्था को वर्णित क्षेत्रों अनुज्ञेय गतिविधियों हेतु निम्नानुसार एक अथवा एक से अधिक सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान की जायेगी–

(i) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
(ii) आवंटित भूमि पर लीज में 100 प्रतिशत छूट
(iii) नियमन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
(iv) भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
(v) स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट
(vi) प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट
(vii) गैर अनुदानित अलाभकारी संस्था होने की स्थिति में non-consumable वस्तुओं/उपकरण तथा पूंजीगत सामग्री के क्रय पर SGST का 100 प्रतिशत पुनर्भरण
(viii) ब्याज अनुदान का 6 प्रतिशत की सीमा तक तथा तीन वर्ष हेतु पुनर्भरण।
(ix) अलाभकारी संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर देयं Motor Vehicle Tax में 100 प्रतिशत छूट।

6.3 ऐसी अलाभकारी संस्थाएं जिनमें न्यूनतम रूपए 5 करोड़ का पूंजीगत निवेश हो अथवा 100 लाभार्थियों हेतु कार्यशील हो, को उपरोक्त वर्णित सुविधाएं/रियायत/छूट के अतिरिक्त Customized Package के रूप में अतिरिक्त सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान की जा सकेगी।

7. समितियों की संरचना –

7.1 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) में निम्नांकित सदस्य होंगे –

(i) प्रमुख/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – अध्यक्ष
(ii) आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य
(iii) वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य
(iv) आयुक्त/निदेशक, संबंधित प्रशासनिक विभाग – सदस्य
(वंचित वर्ग तथा अनुज्ञेय गतिविधि विशेष से संबंधित)
(v) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य सचिव

7.2 उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Committee) में निम्नांकित सदस्य होंगे –

(i) मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ii) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग – सदस्य
(iii) शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग – सदस्य
(iv) शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग – सदस्य
(v) प्रमुख/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

8. अलाभकारी संस्था को सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान करने की प्रक्रिया –

8.1 राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी संस्था को निर्धारित सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल निर्मित किया जायेगा।

8.2 अलाभकारी संस्था द्वारा योजना के साथ संलग्न प्रारूप 'क' में पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

8.3 अलाभकारी संस्था को निर्धारित सुविधाएं/रियायत/छूट दिये जाने की पात्रता जाँच एवं इस संबंध में निर्णय अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) द्वारा लिया जावेगा ।

8.4 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) की बैठक त्रैमासिक स्तर पर आयोजित की जावेगी।

8.5 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) द्वारा –

(i) योजना मे देय सुविधाएं/रियायत/छूट हेतु अलाभकारी संस्था के पात्र होने की स्थिति में संलग्न प्रारूप 'ख' में हक प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate) जारी कर संबंधित सक्षम प्राधिकारी एवं संबंधित संस्था को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

(ii) योजना मे देय सुविधाएं/रियायत/छूट हेतु अलाभकारी संस्था के अपात्र होने की स्थिति में संबंधित संस्था को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जावेगा। उक्त प्रक्रिया में आवेदक के योजना हेतु अपात्र होने के कारणों को भी इंगित किया जावेगा।

8.6 योजनान्तर्गत प्रसारित हक प्रमाण–पत्र के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित अलाभकारी संस्था को निर्धारित सुविधाएं/रियायत/छूट प्रदान की जावेंगी।

8.7 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) द्वारा Customized Package के संबंध में प्राप्त आवेदनों की जांच की जाकर प्रकरण उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Committee) द्वारा Customized Package संबंधी आवेदनों का निस्तारण किया जावेगा।

8.8 योजनान्तर्गत प्रदान की गई छूट संबंधी आदेश में संशोधन वांछित होने की स्थिति में आदेश प्रसारित करने वाला विभाग संशोधन किए जाने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधित आदेश प्रसारित करेगा।

9. नियम एवं शर्तें –

9.1 अलाभकारी संस्था द्वारा प्रचलित विधि/नियमों अथवा राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक होगी। उक्त नियमों की अवहेलना किए जाने पर योजनान्तर्गत दी गई सुविधाएं/रियायत/छूट वापस ली जा सकेगी।

9.2 सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अलाभकारी संस्था की समस्याओं के निराकरण के लिये संबंधित विभागों में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

9.3 राज्य सरकार से योजनान्तर्गत सुविधाएं एवं रियायत/छूट प्राप्त करने वाले अलाभकारी संस्था द्वारा योजना आवेदन पत्र में गलत/अपूर्ण सूचना अंकित किये जाने अथवा गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरणों में अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) द्वारा आवश्यक जांच उपरांत उनको प्रदत्त आवश्यक सुविधाएं एवं रियायत/छूट समाप्त की जा सकेगी तथा संस्था को दिये गये लाभ की 12 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रशासनिक विभाग द्वारा वसूली की जावेगी।

9.4 राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी संस्था की अनियमितताओं के प्रकरण संबन्धित अलाभकारी संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा तथा वे भविष्य में योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होगें।

9.5 योजनान्तर्गत सुविधाएं/रियायत/छूट प्राप्त करने वाली अलाभकारी संस्थाए केन्द्र तथा राज्य एवं अन्य स्रोतों से अनुदान/आर्थिक सहायता/सहयोग प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगी।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

10.<u>योजना क्रियान्वयन एवं व्याख्या</u> –

10.1 योजना के क्रियान्वयन, समन्वय तथा पर्यवेक्षण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रशासनिक विभाग होगा। योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही सुविधाएं/रियायत/छूट से संबंधित समस्त विभाग योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

10.2 योजना के किसी बिन्दु विशेष की व्याख्या के प्रकरण प्रशासनिक विभाग की अभिशंषा उपरांत वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किये जावेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

10.3 प्रशासनिक विभाग योजना संबंधित समस्त सूचना व अभिलेख संधारित करेगा तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु पोर्टल विकसित कर योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता व कुशलता सुनिश्चित करेगा।

11.<u>अपील</u> – अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) के निर्णय के विरूद्ध संबंधित अलाभकारी संस्था द्वारा अपील उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Powered Committee) को प्रस्तुत की जा सकेगी।

12.<u>योजना की समीक्षा एवं संशोधन</u> –

12.1 वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग से परामर्श उपरांत यथा आवश्यकता योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने हेतु सक्षम होगा।

12.2 वित्त विभाग योजना को पूर्णतः अथवा अंशतः भूतलक्षी अथवा पश्चातवर्ती रूप से योजना के प्रावधानों तथा प्रचलित विभागीय नियमों में एकरूपता स्थापित करने की दृष्टि से संशोधित कर सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

22/4/21

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रारूप–क
आवेदन पत्र

क. संस्था का विवरण

1. संस्था का नाम ....
2. पंजीयन दिनांक ....
3. अंतिम नवीनीकरण दिनांक...
4. संबंधित प्रासंगिक अधिनियम/नियमों के तहत पंजीकरण/अनुमति...
......
5. 12ए पंजीकरण दिनांक...
6. दर्पण पोर्टल का पंजीकरण विवरण..
7. एफसीआरए पंजीयन दिनांक... (यदि लागू हो)
8. विगत 03 वित्तीय वर्षों का संस्था के लेखों का सनदी लेखाकार से अंकेक्षण प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
9. विगत 03 वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट (संलग्न करें)
10. विगत 03 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (संलग्न करें)
11. भारत सरकार/राज्य सरकार से ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होने संबन्धी उद्घोषणा (संलग्न करें)

ख. वंचित वर्ग के लिये किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा

1. वर्ग का नाम ....
2. कार्य का विवरण ....

ग. अपेक्षित सुविधाएं/रियायत/छूट (संबंधित के लिये निशान लगाये)

1. भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट
2. आवंटित भूमि पर लीज में छूट
3. नियमन शुल्क में छूट
4. भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट
5. स्टाम्प ड्यूटी में छूट
6. प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट
7. गैर अनुदानित अलाभकारी संस्था होने की स्थिति में SGST का पुनर्भरण
8. ब्याज अनुदान
9. अलाभकारी संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर देय Motor Vehicle Tax में छूट।

घ. सुविधाएं/रियायत/छूट के लिय अपेक्षित दस्तावेज (संलग्न करें)

1. भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क/आवंटित भूमि पर लीज/नियमन शुल्क/भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी/प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट हेतु –
   - 1.1 संस्था का पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण–पत्र
   - 1.2 संस्था की नवीनतम कार्यकारिणी मय विधान
   - 1.3 क्रेता–विक्रेता अनुबंध पत्र
   - 1.4 संस्था के नाम अचल संपति संबंधी दस्तावेज
2. SGST के पुनर्भरण हेतु –
   - 2.1 संस्था का पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण–पत्र
   - 2.2 संस्था की नवीनतम कार्यकारिणी मय विधान
   - 2.3 संस्था के नाम क्रय की गई non-consumable वस्तुओं/उपकरण तथा पूंजीगत सामग्री का विवरण मय बिल की प्रति

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

3. ब्याज अनुदान हेतु –
   3.1 संस्था का पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण–पत्र
   3.2 संस्था की नवीनतम कार्यकारिणी मय विधान
   3.3 संस्था के नाम ऋण स्वीकृति की प्रति
   3.4 ऋण स्वीकृति के उद्देश्य की पूर्ति संबंधी उदघोषणा

4. अलाभकारी संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर देय Motor Vehicle Tax में छूट हेतु –
   4.1 संस्था का पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण–पत्र
   4.2 संस्था की नवीनतम कार्यकारिणी मय विधान
   4.3 संस्था के नाम पंजीकृत वाहन की आर.सी. की प्रति (पूर्व से वाहन पंजीकृत होने की स्थिति में)
   4.4 संस्था के नाम नवीन वाहन क्रय करने की स्थिति में डीलर द्वारा बुकिंग संबंधी दस्तावेज

संस्था पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रारूप–ख

हक प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate)

....(अलाभकारी संस्था का नाम) ....(कार्यालय पता) द्वारा.............................. ....(वंचित वर्ग के लिये किये जा रहे कार्यों अथवा अन्य सामाजिक सरोकार का विवरण) है तथा उक्त उद्देश्य हेतु ....(अपेक्षित सुविधाएं/रियायत/छूट का विवरण) प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक ....(आवेदन की दिनांक) को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आवेदन पर आवश्यक विचारोपरांत अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के अंतर्गत.. (सुविधाएं/रियायत/ छूट का नाम) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक –

सदस्य सचिव
अधिकार प्रदत्त समिति

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner